ए–219
11अप्रैल 2008 (2मई)

उभय पक्ष अनुपस्थित । प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का अध्ययन किया गया ।

2. अपीलार्थी विनोद कुमार पांडेय,पुत्र प्रयाग नारायण पांडेय निवासी–अजीतमल तिराहा,अजीतमल जिला ओरैया(उ0प्र0) ने 25.11.05 को एक मूल आवेदन पुलिस अधीक्षक,जिला भिण्ड (म0प्र0) को भेजा ।

3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला भिण्ड,मध्यप्रदेश के एस0डी0ओ0पी0 श्री अवधेश गोस्वामी की जिप्सी कार नंबर एम.पी.03/977 और अन्य पुलिस की गाड़ियों,लोकेशन कार्ड डायरी,रोजनामचे सं. 570 की छायाप्रति एवं अन्य संबंधित विषयों पर दस बिंदुओं पर जानकारी मांगी ।

4. पुलिस अधीक्षक,भिण्ड ने अपीलार्थीको लिखा कि आपके द्वारा वांछित जानकारियां ऐसी हैं जो विभिन्न शाखाओं से संबंधित होकर उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं । उक्त जानकारियों में कई जानकारियां ऐसी हैं जो इस कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं तथा जानकारी लिये जाने का औचित्य नहीं दर्शाया गया है जिस कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

5. श्री मनोजसिंह, जिला लोक सूचना अधिकारी ने 8.3.06 को अपीलार्थी को लिखे अभिलेख में प्रकट किया है कि इस संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी,भिण्ड के उप पुलिस अधीक्षक श्री अमित वर्मा द्वारा जिला स्तरीय प्रकोष्ठ (सूचना) के सदस्यों के मार्फत रिकार्ड का परिक्षण कराया गया । जिला स्तरीय सूचना प्रकोष्ठ कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आपके आवेदन पत्र में बिंदु क्रमांक 3 को छोड़कर शेष अन्य बिंदुओं पर आपके द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई जा सकती ।

6. श्री राजाबाबूसिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक तथा अपीलीय अधिकारी ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) 10 में से 9 बिंदुओं पर सूचना देने से इंकार कर दिया । श्री राजाबाबूसिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने राज्य सूचना आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में जिला समिति (सूचना) की सिफारिशों को सूचना नहीं प्रदाय करने का एक और आधार माना ।

7. अतः अपीलार्थी की अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) प्रकट करती है कि –'' सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रिया–कलाप या हित से संबंध नहीं रखता या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है । जब तक कि,यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है ।''

8. अतः प्रकरण के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की परिधि में अपीलार्थी द्वारा पूछी गई जानकारियां नहीं आतीं ।

9. यहां यह भी निर्देश दिया जाता है कि पुलिस अधीक्षक,जिला भिण्ड द्वारा 13.12.05 को अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने का औचित्य दर्शाते हुए आवेदन प्रस्तुत करें,ऐसा आदेश दिया था । यह सूचना के अधिकार अधिनियम का या तो मखौल उड़ाया गया है या पुलिस अधीक्षक को इस नए कानून के बारे में जानकारी नहीं है । अतः पुलिस अधीक्षक के जानकारी न देने के उपरोक्त आधार को निरस्त किया जाता है और भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है कि बगैर अधिनियम के अध्ययन के अधिनियम का विधि विरूद्ध उपयोग न करें । यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि आयोग के पीठासीन अधिकारी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को भी अधिनियम यह अनुमति नहीं देता कि वह पेशी के दौरान अपीलार्थी से यह पूछ सकें कि उनकी जानकारी प्राप्त करने **के पीछे**/की मंशा क्या है ?

10. श्री मनोजसिंह जिला लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 8.3.06 के पत्र में अपीलार्थी को कहा गया कि उनके विभाग ने सूचना प्रकोष्ठ कमेटी की सिफारिश पर अपीलार्थी को जानकारी नहीं देने का निर्णय लिया गया । जिला सूचना प्रकोष्ठ कमेटी का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है ? चूंकि अधिनियम मं इस प्रकार की कमेटी के गठन का कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी स्थिति में उन्होंने समिति गठित कर समिति की सिफारिश पर जानकारी न देने जैसे विधि विरूद्ध कदम उठाने का कृत्य कैसे किया ? इसका स्पष्टीकरण आयोग को 7 दिन में प्रेषित करें ।

11. अतः लोक सूचना अधिकारी (तात्कालीन एवं वर्तमान) को निर्देश दिया जाता है कि 15 दिन में अपीलार्थी को

जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पालन प्रतिवेदन आयोग को पेश करें ।

12. अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलार्थी द्वारा जानकारी मांगने पर उनका औचित्य पूछना एक गंभीर स्थिति पैदा करता है । पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय,भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधि सम्मत क्रियान्वयन हेतु संबंधितों को निर्देशित करें और आश्वस्त करें कि भविष्य में अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें ।

13. जानकारी नहीं देने के लिए जवाबदेह लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रदाय न करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाए कि क्यों न उन पर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाए ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0459
30 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री हरिमोहन श्रीवास्तव अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री के0के0द्विवेदी,जिला शिक्षा अधिकारी,ग्वालियर उपस्थित । अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने दिनांक 19.1.06 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत कुल 07 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी ।

4. लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि बिंदु क्रमांक 3, 4 न्यायालय में विचाराधीन हैं और बिंदु क्रमांक 05 पर न्यायालय ने रोक लगाई है । शेष बिंदु क्रमांक 1, 2, 6 एवं 7 की जानकारी वह 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध करा देंगे ।

5. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह बिंदु क्रमांक 1, 2, 6 एवं 7 की जानकारी 15 दिवस में रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से अपीलार्थी को प्रेषित करें एवं एक माह में पालन प्रतिवेदन आयोग को भिजवाएं ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0458
30 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री हरिमोहन श्रीवास्तव अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री के0के0द्विवेदी,जिला शिक्षा अधिकारी,ग्वालियर उपस्थित । अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने दिनांक 5.1.06 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत कुल 6 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी ।

4. लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि बिंदु क्रमांक 1, 4 एवं 5 की जानकारी 08.02.06 को डाक द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई थी एवं बिंदु क्रमांक 2, 3 एवं 6 की जानकारी एक सप्ताह में अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

5. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह बिंदु क्रमांक 2, 3 एवं 6 की जानकारी एक सप्ताह में रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से अपीलार्थी को प्रेषित करें एवं 20 दिवस में पालन प्रतिवेदन आयोग को भिजवाएं ।

6. अपीलीय अधिकारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,ग्वालियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि वह प्रकरण क्रमांक ए–0456, 0458 एवं 0459 में दिनांक 30.04.08 को आयोग द्वारा प्रेषित उपस्थिति पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी सुनवाई में उपस्थित क्यों नहीं हुए ?

7. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल को अलग से पत्र लिखा जाए कि आज दिनांक 30.04.08 को जिन चार प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी को उपस्थित होना था, उनमें अपीलीय अधिकारी न तो उपस्थित हुए और न ही उन्होंने लिखित में कोई समाधानकारक पत्र ही भेजा । अतः भविष्य में कृपया देखें कि मुख्य

कार्यपालन अधिकारी आयोग से भेजी गई उपस्थिति सूचना को गंभीरता से लें ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0457
30 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री हरिमोहन श्रीवास्तव अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री श्यामाचरण शर्मा, प्राचार्य,शासकीय कन्या उ0 मा0 विद्यालय,ग्वालियर एवं अपीलीय अधिकारी श्री के0के0द्विवेदी,जिला शिक्षा अधिकारी,ग्वालियर उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने दिनांक 17.02.06 के अपने मूल आवेदन में कुल 13 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी । तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री पी0एन0शर्मा ने इन जानकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (d) (g) एवं (h) को आधार मानते हुए 30 दिन के अंदर निरस्त कर दिया ।

4. यहां यह उल्लेखनीय है कि बिंदु क्रमांक 01 में अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दो पत्रों का उद्धरण दिया है और जानकारी मांगने के बजाय उनपर कार्यवाही करने की मांग की है, यह विधि सम्मत नहीं है इसलिए निरस्त किया जाता है ।

5. बिंदु क्रमांक 02 के बारे में लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि निम्न श्रेणी लिपिक श्रीमती मधुलिका वर्मा को नियमित रूप से वेतनवृद्धि दी जा रही है ।

6. बिंदु क्रमांक 03 से 13 तक के लिए अपीलार्थी श्री हरिमोहन श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि वह यह आदेश मिलने के 07 दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें और निर्धारित शुल्क जमा कर चाही गई जानकारियां प्राप्त करें । इसके बाद अपीलार्थी को निरीक्षण करने और जानकारियां प्राप्त करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।

7. वर्तमान लोक सूचना अधिकारी श्री श्यामाचरण शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम

2005 का विस्तृत अध्ययन करें और अपनी जवाबदेही के बारे में पूर्णतः सजग होकर आगे से आयोग के समक्ष उपस्थित हों ।

8. यह अपील निराकृत की जाती है ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0456
30 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री हरिमोहन श्रीवास्तव अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री के0के0द्विवेदी,जिला शिक्षा अधिकारी,ग्वालियर उपस्थित । अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.06 को अपने मूल आवेदन में श्रीमती मधुलिका वर्मा,निम्न श्रेणी लिपिक के बारे में कुल 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी । लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि बिंदु क्रमांक 09 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पर जानकारी दे दी गई है ।

4. आयोग लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करता है कि वह बिंदु क्रमांक 09 की जानकारी अपीलार्थी को रजिस्टर्ड ए0डी0 अथवा स्पीड पोस्ट से प्रेषित करें एवं पालन प्रतिवेदन एक माह में आयोग को भेजा जाए ।

5. अपीलीय अधिकारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,ग्वालियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि वह प्रकरण क्रमांक ए–0456, 0458 एवं 0459 में दिनांक 30.04.08 को आयोग द्वारा प्रेषित उपस्थिति पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी सुनवाई में उपस्थित क्यों नहीं हुए ?

6. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल को अलग से पत्र लिखा जाए कि आज दिनांक 30.04.08 को जिन चार प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी को उपस्थित होना था, उनमें अपीलीय अधिकारी न तो उपस्थित हुए और न ही उन्होंने लिखित में कोई समाधानकारक पत्र ही भेजा । अतः भविष्य में कृपया देखें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयोग से भेजी गई उपस्थिति सूचना को गंभीरता से लें ।

7. अपील निराकृत हुई ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
30 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0713
29 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री ब्रजेश बाबू उपाध्याय उपस्थित ।
लोक सूचना अधिकारी श्री एस0के0शर्मा,ब्लाक शिक्षा अधिकारी,अटेर जिला भिण्ड उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. **यह आदेश दो भिन्न प्रकरणों का निपटारा करता है :**

1 अपीलार्थी द्वारा मूल आवेदन दिनांक 17.1.06 में वर्ष 1.4.99 से 30.03.2000 की अवधि में काटे गए असेसमेंट डिटेल की प्रमाणित प्रति ।

11 अपीलार्थी ने अपने दूसरे मूल आवेदन में जो कि 17.01.2006 का है, में लोक सूचना अधिकारी से सेवा पुस्तिका सम्पूर्ण,मय लीव एकाउंट की फोटोकॉपी मांगी थी ।

4. लोक सूचना अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,अटेर ने प्रकट किया कि वह अपीलार्थी को असेसमेंट डिटेल 07 दिवस में एवं इनकम टैक्स की जानकारी 15 दिन में निशुल्क रजिस्टर्ड ए0डी0 से उपलब्ध करा देंगे ।

5. दूसरे आवेदन के तहत लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्विस बुक की फोटोकॉपी 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को निशुल्क रजिस्टर्ड ए0डी0 या स्पीड पोस्ट से भिजवाएं ।

6. उपरोक्त दोनों मामले के पालन प्रतिवेदन 20 दिन में आयोग को प्रेषित किए जाएं । यह अपील आज यहीं निराकृत की जाती है ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
29 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0762
दिनांक 29 अप्रैल, 2008

अपीलार्थी श्री लल्लन सिंह ठाकुर उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी रजिस्ट्रार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर अनुपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन 14.8.2006 व्दारा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से अलग–अलग संकायों में शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों का सम्बद्ध किये जाने की जानकारी एक टेबल में चाही थी ।

4. लोक सूचना अधिकारी (डा0आनन्द मिश्रा)ने आयोग को भेजे अपने जवाब में यह प्रकट किया है कि चाही गई जानकारी प्रश्न–उत्तर के रूप में है जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदाय नही की जा सकती । अतः लोक सूचना अधिकारी व्दारा 21 अगस्त, 2006 को एक पत्र 30 दिवस की अवधि के भीतर स्पीड पोस्ट से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया जिसमें कहा गया कि चाही गई जानकारी हेतु रूपये 2 प्रति पृष्ठ के हिसाब से शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त करें । इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी ने बगैर वांछित जानकारी उपलब्ध कराए अपीलार्थी के 14 अगस्त 2006 के मूल आवेदन को निराकृत घोषित कर दिया । यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि अपीलार्थी के 14 अगस्त 2006 के मूल आवेदन का उत्तर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ने 01.11.2006 को दिया जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दी गई समयावधि से बहुत ज्यादा है इसलिए अपीलार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाना है,वह निशुल्क होगी ।

5. अतः लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत वह अपीलार्थी द्वारा मूल आवेदन में चाही गई जानकारी जिस रूप में उन्होंने चाही है,उसी रूप में उन्हें 15 दिन में रजिस्टर्ड ए0डी0 या स्पीड पोस्ट से भिजवाकर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करेंगे ।

6-

यह भी निर्देश दिया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अधीन यह नोटिस जारी हो कि समय पर जानकारी उपलब्ध न कराए जाने के कारण क्यों न उन पर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाये ?

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
29 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0761
दिनांक 29 अप्रैल, 2008

अपीलार्थी श्री लल्लन सिंह ठाकुर उपस्थित । श्री एस0 के0 सचदेवा, कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी,ग्वालियर उपस्थित ।

2. लोक सूचना अधिकारी श्री विनोद भदौरिया, सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी, ग्वालियर को आज की सुनवाई तिथि की सूचना होने के पश्चात् भी उपस्थित न होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अधीन यह नोटिस जारी हो कि क्यों न उन पर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाये ?

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
29 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0906
दिनांक 29 अप्रैल, 2008

अपीलार्थी श्री रंजीत सिंह मिठारू अपने अधिवक्ता श्री राम गुलवानी के साथ उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री व्ही0के0शर्मा, सम्पत्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, ग्वालियर एवं अपीलीय अधिकारी श्री डी0 डब्ल्यू0जोशी, उपायुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, ग्वालियर उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने दिनाक 3.11.2006 के अपने मूल आवेदन में मध्यप्रदेश गृह निर्माण से 16.5 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि का विवरण और उसका रिकार्ड प्रमाणित प्रति की मांग की थी जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी ने 24.2.2007 को आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में प्रकट किया कि श्री रंजीत सिंह मिठारू पुत्र श्री त्रिलोक सिंह मिठारू को फ्लेट क्रमांक एफ–25, संजय काम्पलेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर दिनांक 10.5.1985 को भाडा क्रय आधार पर आवंटित किया गया था । श्री मिठारू एवं मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के बीच 12 प्रतिशत ब्याज राशि की दर पर अनुबंध हुआ था ।

4. लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी व्दारा इस आवास का हायर पर्चेस किया गया कितना पैसा किस ब्याज दर पर जमा कराया गया और जब मकान का अधिपत्य लिया तब कितना पैसा बाकी था और मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अपीलार्थी के बीच क्या मासिक किश्त तय हुई, यह किस ब्याज दर पर थी जो अनुबंध किया गया उसका पेनल रेंट की दर क्या लागू की गई (यदि की जानी थी) ।

5. लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलाथी ने कितनी किश्ते भरी और कब से मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल ने उसे डिफाल्टर की श्रेणी में माना ।

6. कथित रूप से पेनाल्टी ब्याज 20 प्रतिशत म0प्र.गृह निर्माण मडल व्दारा वसूली जाने वाली इस विशेष राशि में जबकि 12 प्रतिशत पर त्रुटिवश अनुबंध हो चुका था तथा पेनाल्टी रेट क्या होगा इसकी स्पष्ट जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराये ।

7. लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन 15 दिन में कर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करेंगें ।

8. लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अधीन यह नोटिस जारी हो कि क्यों न उन पर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाये ?

9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त और अपीलीय अधिकारी को यह चेतावनी दी जाती है कि वे अपने व्यवहार को लोक सेवक की परिधि तक ही सीमित रखें ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
29 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए—0823
28 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री एस0एन0खत्री **(वर्तमान पता—ई.डब्ल्यू. एस. 289,अतिरिक्त विश्वबैंक कॉलोनी,उज्जैन—456 010 है)** उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री आनंद शर्मा,उपायुक्त प्रशासन,कार्यालय परिवहन आयुक्त एवं श्री एन0के त्रिपाठी,अपीलीय अधिकारी एवं परिवहन आयुक्त,उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने 9.11.05 के अपने आवेदन पत्र में लोक सूचना अधिकारी एवं उप परिवहन आयुक्त(प्रशासन)मध्यप्रदेश मोतीमहल,ग्वालियर(म0प्र0) से सूचना के अधिकार की धारा 6 (1) के तहत निम्न दो जानकारियां मांगी थीं :—

1. अपीलार्थी ने स्वयं की सेवा पुस्तिका मांगी थी ।
2. अपीलार्थी पर्सनल फाईल का अवलोकन करना चाहता था ।

4. लोक सूचना अधिकारी ने एक महिने 13 दिन के पश्चात् अपीलार्थी को आवेदन शुल्क नहीं भरने की आपत्ति को आधार मानकर मूल आवेदन निरस्त कर दिया ।

5. अपीलार्थी ने 3.11.06 को प्रथम अपील तथा 20.11.06 को सूचना आयोग में रूपये 100/—फीस भरकर रसीद प्राप्त की ।

6. दिनांक 05.05.06 को लोक सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी को पत्र लिखा कि चूंकि उन्होने आवेदन शुल्क रूपये 10/— का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प संलग्न नहीं किया है अतः उनका मूल आवेदन निरस्त किया जाता है ।

7. अपीलीय अधिकारी एवं परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर ने 22.6.2206 को यह कहकर अपील निरस्त कर दी कि '' समयावधि के पश्चात् तथा निर्धारित शुल्क के अभाव में अपील निरस्त की जाती है ''।

8. आज दिनांक 28.4.2008 की पेशी में श्री खत्री ने बताया कि उन्होने 1126/— रूपये लोक सूचना अधिकारी, परिहवन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के यहां 563/— पृष्ठों के रूपये 2 प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा किये थे । जो जानकारी रजिस्टर्ड डाक से

श्री खत्री को मिली है वह आधी से ज्यादा वह जानकारी नही है जो श्री खत्री ने मांगी थी ।

9. अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि श्री एस0एन0खत्री को भेजे अभिलेख का शुल्क एक सप्ताह में

10.

11. उन्हें लोटाया जाये और आयोग को सूचित किया जाये ।

10 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाए कि विधि अनुसार क्यों न उन पर शास्ति अधिरोपित की जाये ?

11. लोक सूचना अधिकारी अगली पेशी पर आयोग में उपस्थित हों और सभी वांछित जानकारी साथ लाकर निःशुल्क अपीलार्थी को आयोग के समक्ष प्रदान करें ।

12. उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 20 दिन में आयोग को प्रेषित होना चाहिये ।

13. **प्रथम अपीलीय अधिकारी परिवहन आयुक्त के बारे में निर्णय सुरक्षित ।**

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
29 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0928
28 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री कैलाश स्वर्णकार उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने 11.07.06 को सूचना के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न दो बिंदुओं पर कार्यालय,मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी थी :–

(A) **स्टेनो टाइपिस्ट एवं लिपिक के रिक्त पदों की जानकारी ।**

(B) **श्री अजयसिंह धाकड़,सहायक ग्रेड 3 के नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति ।**

4. अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उसे पहली जानकारी मिल चुकी है लेकिन दूसरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है ।

5. श्री अजयसिंह धाकड़ ने मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,उत्तर परिक्षेत्र,ग्वालियर को 22.07.06 को लिखे पत्र में कहा है कि प्रार्थी के व्यक्तिगत हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की सेवाओं से संबंधित व्यक्तिगत अभिलेख अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध न कराए जाएं । श्री धाकड़ की आपत्ति को निरस्त किया जाता है । इनकी नियुक्ति संबंधी पत्र एक लोक अभिलेख है, एक सरकारी अभिलेख है । अतः यह विधि सम्मत होगा कि अपीलार्थी को श्री धाकड़ के नियुक्ति पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए । अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर श्री धाकड़ के नियुक्ति पत्र की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाए तथा पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जाए ।

6. लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षण यंत्री(प्रशासन) कार्यालय मुख्य अभियंता(उत्तर) की पेशी पर अनुपस्थिति को आयोग ने गंभीरता से लिया है । प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इन्हें हिदायत दें कि वह लोक सूचना अधिकारी के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका

निर्वहन ईमानदारी से करें । इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन को भी भेजें ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
28 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0763
11 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री फहीम उद्दीन उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री पी0डी0सुरंगे अनुविभागीय अधिकारी,श्योपुर एवं अपीलीय अधिकारी श्री के0एल0बिजोरिया,कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग,ग्वालियर उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन दिनांक 30.06.06 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,भारी मशीनरी,जल संसाधन–श्योपुर से दिनांक 01 फरवरी सन् 1980 से दि0 21.09.1982 तक उपस्थिति पंजी तथा मस्टर वाउचर बिल की प्रमाणित नकल प्रदान करने का निवेदन किया था । अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उपस्थिति पंजी एवं मस्टर रोल को छोड़कर सभी जानकारियां उनको मिल गई हैं । लोक सूचना अधिकारी का कथन था कि चाहे गए अभिलेख 20 वर्ष पुराने हैं । उनके इस कथन को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 उपधारा 3 के तहत अमान्य किया गया ।

4. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह दो माह के अंदर वांछित जानकारी अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध कराएं एवं अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क रू0 50/– और 10/– उसे वापस करते हुए पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
11 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–1378
11 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री भुवनेश मोहन मोडिया उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री आर0के0उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी,श्योपुर उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन दिनांक 14.11.2006 में दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी जिनमें से बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी अपीलार्थी को मिल गई है । अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उन्हें बिंदु क्रमांक 02 की जानकारी बिंदु के विषय के अनुसार नहीं मिली है ।

4. इस प्रकरण में अपीलार्थी का मूल आवेदन दिनांक 14.11.06 लोक सूचना अधिकारी के समक्ष पेश किया गया और मूल आवेदन की फीस रूपये 10/– की रसीद 05.12.07 की है । इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी का कथन था कि उन्होंने दूरभाष से अपीलार्थी को जानकारी ले जाने का आग्रह किया था । अपने कार्यालयीन भृत्य से भी दिनांक 12.02.07 को पत्र (जानकारी) भेजा, किंतु उसपर ''**अपीलार्थी ने पत्र लेने से इंकार किया**'' लिखा उक्त पत्र वापस प्राप्त हुआ । इसके बाद उक्त जानकारी एक रजिस्टर्ड पोस्ट लिफाफे से अपीलार्थी के निवास के पते पर भेजी गई जो वापस लौटकर आ गया ।

5. अभिलेखों के निरीक्षण से यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निरंतर प्रयास करने के बाद भी वह आवेदक तक वांछित जानकारी नहीं पहुंचा पाए । अतः लोक सूचना

अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिंदु क्रमांक 02 (मूल आवेदन) की जानकारी अपीलार्थी को जिस रूप में वह चाहते हैं,उसी रूप में उपलब्ध कराएं । उक्त जानकारी 10 दिन के अंदर अपीलार्थी को उपलब्ध कराकर पालन प्रतिवेदन एक माह में आयोग को प्रेषित किया जाए ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
11 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–1069
11 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री कृष्णचंद्र गोहदकर की ओर से अधिवक्ता श्री पवन शर्मा उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री एम0एल0मीणा,डिपो मैनेजर,म0प्र0सड़क परिवहन निगम,गुना एवं अपीलीय अधिकारी श्री एस0सी0शर्मा,संभागीय प्रबंधक,म0प्र0सड़क परिवहन निगम,संभागीय कार्यालय,बैरागढ़ भोपाल उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन दिनांक 19.09.06 में पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी जिसमें से अपीलार्थी को केवल बिंदु क्रमांक 01 की जानकारी संक्षिप्त रूप से मिली है एवं बिंदु क्रमांक 02, 03, 04 और 05 की जानकारी अपीलार्थी को आज तक नहीं मिली है । लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि उन्होंने सीधे अपीलार्थी को जानकारी भेजने के बजाय आयोग के माध्यम से जानकारी भेजी थी जिसपर अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि उन्हें यह जानकारी नहीं मिली है ।

4. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिंदु क्रमांक 02, 03,04 एवं 05 की जानकारी एक सप्ताह में रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पवन शर्मा को प्रेषित कर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें । यदि इस आदेश का पालन समयावधि में नहीं किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी के नाम कारण बताओ सूचना

पत्र जारी किया जाए कि क्यों न उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए शास्ति अधिरोपित की जाए ?

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
11 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–0990
10 अप्रैल 08

अपीलार्थी श्री मनोज शर्मा अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री वाय.एस.तोमर,मुख्य नगरपालिका अधिकारी,जौरा उपस्थित । तृतीय पक्ष के रूप में श्री ए0के0बंसल उपस्थित । अपीलीय अधिकारी संभागीय उप संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास,ग्वालियर अनुपस्थित ।

2. श्री मनोज शर्मा,पार्षद वार्ड क्रमांक 1,नगर पंचायत,जौरा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 11.09.06 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी से निम्न दो बिंदुओं पर जानकारी मांगी :–

(अ)– श्री ए0के0बंसल(तात्कालीन नगर पंचायत जौरा में प्रभारी मुख्य नगरपालिका के पद पर पदस्थ) की प्रथम नियुक्ति किस पद पर,किस दिनाक को तथा किस विभाग में हुई है । नियुक्ति आदेश की सत्यापित प्रति ।

(ब)– श्री बंसल की प्रथम नियुक्ति के बाद अगर पदोन्नति हुई हो तो कब किस विभाग में किस पद पर । आदेश की सत्यापित प्रति ।

3. लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि जानकारी उनके स्तर पर नहीं है इसलिए जानकारी प्रदाय करना संभव नहीं है । मुख्य नगर पंचायत,जौरा मुरैना ने 12.3.2007 को आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में प्रकट किया कि श्री मनोज शर्मा द्वारा 14.09.06 को प्रस्तुत हो पुनः रिकार्ड की नकल दिलाए जाने की मांग की । उन्हें पुनः अवगत कराया गया कि कार्यालय में रिकार्ड न होने के कारण नकल नहीं दी जा सकती ।

4. श्री ए0के0बंसल बगैर उपस्थिति नोटिस के सुनवाई में उपस्थित थे । श्री बंसल ने आपत्ति की कि श्री मनोज शर्मा,पार्षद द्वारा मांगी गई जानकारी उनकी निजी जानकारी है, वह उसे कैसे दी जा सकती है, इस पर मुझे आपत्ति है ।

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी–संभागीय उप संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर,चंबल संभाग,ग्वालियर ने अपने आदेश 9.11.06 में अधिनियम की धारा 11 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ती कर्मचारी की सुनवाई के बगैर दिये जाना संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में श्री

बंसल लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी,मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सेवा पुस्तिका जो व्यक्तिगत नस्ती होने के कारण अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधान के अनुक्रम में चाहे गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दी जाना संभव नहीं है । अपीलार्थी की अपील तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है ।

6. अतः श्री बंसल के उक्त कथन की वांछित जानकारी उनकी निजी जानकारी को निरस्त किया जाताहै । साथ ही पहली अपील के आदेश को असफल करार देते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि वांछित जानकारी अधिनियम की धारा 11 की परिधि में नहीं आती । अतः लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को वांछित सूचना इस निर्देश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भिजवाएं । यह भी निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण क्यों नहीं उनके खिलाफ शास्ति अधिरोपित की जाए ?

7. अपीलीय अधिकारी एवं संभगीय संचालक,कार्यालय संभागीय उपसंचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग,ग्वालियर–चंबल संभाग,ग्वालियर को एक अलग से पत्र लिखकर श्री ए0के0बंसल के अभिलेखों के साथ आयोग के समक्ष दिनांक –––– को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हों ।

8. संचालक नगरीय प्रशासन कृपया सूचित हों कि उनके विभाग में किस हद तक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के प्रति गैरजिम्मेदारी का व्यवहार किया जा रहा है । आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का पालन अक्षरशः किया जाए तथा पालन प्रतिवेदन आयोग को 20 दिन में प्रेषित हो।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
10 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–1035
10 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री महेश कुमार दादौरिया उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी डॉ0 श्री बी0एस0परिहार,अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,ग्वालियर ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संधारित रोस्टर (वर्ष 2002) के अनुसार 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पदों की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ?सत्र 2001 से आज दिनांक 08.05.2006 तक) ।

4. लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि 2001 के बाद उनके कार्यालय में दो बार, वर्ष 2003 और 2005 में पदोन्नतियां हुई हैं । इन दोनों वर्षो में वर्षवार कितने पदों पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों की पदोन्नति की गई, इसकी जानकारी वह अपीलार्थी को उपलब्ध करा देंगे । लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वर्ष 2001 से अपलार्थी के आवेदन दर्ज करने(08.05.2006) तक की समयावधि में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए रोस्टर में क्या व्यवस्था दी गई थी और उस रोस्टर के अनुसार वर्षवार कितने पद खाली थे,कितने सीधी भर्ती से भरे गए और कितने पदों के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती हुई और कितनी विभागीय पदोन्नति हुई । उक्त जानकारी अपीलार्थी को एक माह में प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जाए ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
10 अप्रैल 2008

ए–0990
10 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री मनोज शर्मा अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री वाय.एस.तोमर,मुख्य नगरपालिका अधिकारी,जौरा उपस्थित । श्री ए0के0बंसल,तृतीय पक्ष उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. प्रकरण आदेश के लिए सुरक्षित ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
10 अप्रैल 2008

ए–0859
09 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री नारायण बांदिल अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी भी अनुपस्थित ।

2. प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

3. अपीलार्थी ने शस्त्र लायसेंस से संबंधित निम्न पांच बिंदुओं की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय जिला एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, मुरैना से मांगी थी :–

3.1. शस्त्र लायसेंस हेतु आपके कार्यालय में आवेदन किस प्रकार किया जाता है एवं किस प्रकार लायसेंस प्राप्त होता है प्रमाण पत्र बनने में कितनी समयावधि शासन द्वारा निश्चित की गई है एवं लायसेंस प्राप्त करने हेतु क्या–क्या कार्यवाही करना पड़ती है ।

3.2. लायसेंस हेतु कितना शुल्क शासन द्वारा लिया जाता है एवं शासन किस रूप में शुल्क प्राप्त करता है ।

3.3. वर्ष 2001 से 2006 तक कितने शस्त्र लायसेंस बनाए गए एवं उनसे शासन ने शुल्क के रूप में कितनी राशि जमा कराई गई । जमा राशि का किन कार्यो में उपयोग होता है इसकी जानकारी दी जाए ।

3.4. किन–किन शस्त्रों के लायसेंस आपके कार्यालय से प्रदान किए जाते हैं एवं शस्त्र लायसेंस के नवीनीकरण में कितना समय शासन के अनुसार लगना चाहिए कृपया उल्लेख करें ।

3.5. अगर शस्त्र लायसेंस या शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण समयावधि में नहीं मिलते हैं तो क्या कार्यवाही शासन के नियमानुसार उचित है नियम सहित स्पष्ट करें ।

4. अपीलीय अधिकारी ने प्रकट किया है कि अपीलार्थी के आवेदन पर अधिनियम की धारा 2 के तहत यह प्रावधान किया

गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचना को तैयार कराकर देने का प्रावधान नहीं है ।

5. जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत –'' **किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोंतों को अनुनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।''**

6. अतः लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी ने जिस रूप में जानकारी चाही है, उसी रूप में बिंदु क्रं0 3.1,बिंदु क्रमांक 3.2, बिंदु क्रमांक 3.4 एवं 3.5 की जानकारी उसे उपलब्ध कराई जाए । इनमें से केवल बिंदु क्रमांक 3.3 की जानकारी वृहद् स्वरूप की प्रतीत होती है, अतः उचित होगा कि अपीलार्थी इससे संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर ले और निरीक्षण के पश्चात् जिन दस्तावेज़ों की छायाप्रति वह चाहता है, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकता है । लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को बिंदु क्रमांक 3.3 से संबंधित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएंगे और निरीक्षण उपरांत जिन दस्तावेज़ों की छायाप्रति अपीलार्थी द्वारा चाही जाती है,वह उसे निशुल्क प्रदाय करेंगे ।

7. लोक सूचना अधिकारी उक्त निर्देश का पालन करते हुए एक माह के अंदर पालन प्रतिवेदन आयोग को भेंजे ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
09 अप्रैल 2008

<u>प्रभारी सचिव</u>

ए–0858
09 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री नारायण बांदिल अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी श्री एस0आर0मौर्या, कोषालय अधिकारी, मुरैना उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन में जिला कोषालय से रूपये 2.50 लाख के कथित गबन संबंधी पांच बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी । लोक सूचना अधिकारी ने यह प्रकट किया 2.50 लाख रूपये के कथित गबन संबंधित पांच बिन्दुओं की मांगी गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (h) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट के प्रावधान में है । इस धारा के तहत ''सूचना जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या अपराधियों के गिरफ्तार करने या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पहुचेंगी '' । लोक सूचना अधिकारी ने यह भी प्रकट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.5.2006 को भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420 के तहत अपराध प्रकरण दर्ज किया गया । प्रकरण की मौजूदा स्थिति यह है कि इस मामले का अन्वेषण अभी जारी है और न्यायालय में चालान पेश नहीं हुआ है । लोक सूचना अधिकारी का यह प्रकटन विधि सम्मत तथा संतोषप्रद पाया गया । अतः यह निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नही होती । प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
09 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–279

दिनांक 09 अप्रैल, 2008

अपीलार्थी श्री लाल जी सिंह कुशवाह स्वयं उपस्थित । श्री बी0के0सखवार, तहसीलदार, भिन्ड एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी श्री कुशवाह ने प्रकट किया कि उन्होने अपने ही मूल आवेदन की प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय तहसीलदार, भिन्ड से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी थी । मूल आवेदन की प्रति आयोग की नस्ती में ही मौजूद नही है । लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि अपीलार्थी का मूल आवेदन उनके कार्यालय में गुम हो गया है इसकी जवाबदेही तत्कालीन प्रभारी तहसीलीदार श्री राजेश सिंह मौहार की बनती है । लोक सूचना अधिकारी ने यह भी प्रकट किया कि मूल आवेदन 1.12.2004 का है जो खो गया लेकिन उस पर कार्यवाही हुई है । लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी के खोये हुये मूल आवेदन को खोने की जवाबदेही तय कर विभागीय कार्यवाही करें और कार्यवाही से आयोग को एक माह के अन्दर अवगत करायें । पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रकरण को वहीं समाप्त कर दिया जायेगा ं।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
09 अप्रैल 2008

ए–0092
08 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री सुशील कुमार गोलश, मुरैना अनुपस्थित । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन दिनांक 06.09.06 द्वारा स्टेशन रोड,स्टेट बैंक के सामने,दुकान नं0 20 श्री लोकेंद्र शर्मा के नाम किस दिन हुआ है,आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत मांगी थी जिसकी जानकारी अपीलार्थी को मिली या नहीं मिली, यह आयोग को अवगत नहीं कराया गया है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद,मुरैना ने एक कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31.08.07 को श्री संजय जैन,यू0डी0सी0,कार्यालय–नगरपालिका परिषद,मुरैना को जारी कर यह पूछा था कि उक्त प्रकरणमें क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ? मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका परिषद ने आयोग को लिखे अपने पत्र में प्रकट किया है कि श्री लोकेंद्र शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा दुकान नं0 20 के नामांतरण की नकल 03 वर्ष से अधिक की होने के कारण प्रमाणित नकल देना संभव नहीं है । लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि आर्डर शीट की नकल 03 वर्ष से अधिक होने के कारण नष्ट कर दी गई है,अतः प्रमाणित नकल देना संभव नहीं है ।

4. लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आयोग को सूचित करें कि क्या उनके संस्थान में नस्तियां नष्ट करने के नियम हैं ? नियम हैं तो क्या नियम हैं । इस प्रकरण में नस्ती नष्ट करने के पहले क्या परीक्षण किया गया कि उस नियम का पालन किया गया है ?

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
08 अप्रैल 2008

<u>प्रभारी सचिव</u>

ए—0446
08 अप्रैल 2008

अपीलार्थी श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता,मुरैना उपस्थित । श्री एस.पी.दुबे,सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र वि0वित0कं0लिमि0,मुरैना एवं लोक सूचना अधिकारी तथा श्री आर0के0सिंह,कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र वि0वित0कं0लिमि0,मुरैना एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित ।

2. सुनवाई की गई ।

3. अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उनके व्दारा आवेदन दिनांक 21.1.2006 व्दारा सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 6 के तहत महाराजपुर विद्युत उपकेंद्र से ए0बी0रोड के0एस0ऑयल(के0एस0फूड प्रोडक्ट) तक डाली गई 33 के0वी0ए0 विद्युत लाईन के संबंध में आठ बिन्दुओं पर चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अपीलार्थी को प्राप्त नही हुई है ।

4. अपीलार्थी ने यह भी प्रकट किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी व्दारा आयोग को लिखे गये पत्र में बिन्दु क्रमांक 3 के जवाब में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी व्दारा दी गई जानकारी कि इस विद्युत लाईन के प्रयोग में कोई भी भूमि प्रभावित नहीं हुई है, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण है । लोक सूचना अधिकारी का कथन यह था कि आठ बिन्दुओं की जानकारी अपीलार्थी को 15 दिन के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जावेगी । लोक सूचना अधिकारी ने प्रकट किया कि मूल आवदेन के संबंध में आयोग व्दारा मांगे गये प्रतिवेदन मिलने के बाद ही उन्हें इस प्रकरण की जानकारी मिली ।

5. अपीलीय अधिकारी ने प्रकट किया कि उनकी जानकारी में पहली बार यह प्रकरण तब आया जब आयोग व्दारा प्रतिवेदन के लिए नोटिस जारी किया गया । यह निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री जी0एस0लाम्बा, एवं वर्तमान

लोक सूचना अधिकारी श्री एस.पी.दुबे,सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि0, मुरैना को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उन पर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जावे ?

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त
08 अप्रैल 2008

प्रभारी सचिव

ए–1002
दिनांक 8 अप्रैल, 2008

अपीलार्थी श्री शिवभान सिंह राठौर उपस्थित । लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित ।

2. प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला भिण्ड(लोक सूचना अधिकारी) को दिनांक 01.09.06 को एक आवेदन देकर निम्नलिखित बिंदु पर जानकारी मांगी थी :–

(1) **पी.एन.डी.टी.सलाहकार समिति की सूची प्रारूप पर एवं जिले में पी.एन.डी.टी.एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नर्सिंग होम की सूची प्रारूप –2 पर प्रदान करें ।**

3. अपीलार्थी ने प्रकट किया कि उसे मांगी गई जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं हुई ।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भिण्ड द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए जवाब दिनांक 13.12.06 में यह प्रकट किया गया है कि आवक लिपिक स्थानीय कार्यालय,भिण्ड की लापरवाही के कारण मूल आवेदन संबंधित विभाग में नही पहुंच सका, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकी ।

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड ने राज्य सूचना आयोग को भेजे अपने पत्र में यह स्वीकार किया है कि लिपिकीय त्रुटिवश मूल आवेदन कहीं गुम होने के कारण संबंधित शाखा में नहीं पहुंच सका ।

6. अपीलार्थी ने अवगत कराया कि आवेदन शुल्क रू0 10/– उन्होंने नगद कार्यालय में जमा किया था जिसकी उनको रसीद नहीं दी गई । चूंकि अपीलार्थी ने प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील की आवश्यक फीस संलग्न की है, इसलिए अपीलार्थी के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई

कारण नहीं बनता कि उन्होंने मूल आवेदन के साथ आवेदन शुल्क जमा नहीं किया था ।

7. अपीलार्थी श्री शिवभानसिंह राठौर महिला बाल विकास समिति भिण्ड के सचिव हैं, लेकिन उन्होंने प्रकट किया कि वह व्यक्तिगत हैसियत से एक नागरिक को प्रदत्त मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना पाने के हकदार थे । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अपीलार्थी को नागरिक मानते हुए यह सुनवाई की गई और एक नागरिक के नाते सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत अपीलार्थी सूचना पाने का अधिकारी था जो उसने मांगी थी । विधि अभी अस्थिर है कि सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों की संस्था के प्रति धारा 3 के तहत कितना अधिकार होगा, लेकिन अपीलार्थी द्वारा यह प्रकट करने पर कि वह व्यक्तिगत हैसियत से एक नागरिक की तरह सुनवाई में उपस्थित हुए हैं और बतौर नागरिक के ही उन्होंने आवेदन देकर सूचना मांगी थी । अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन जानकारी प्राप्त करने का हकदार है,अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जानकारी निशुल्क प्रदाय करे और पालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर आयोग को प्रेषित करें ।

8. इस प्रकरण में आवक लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड को Deemed I.P.O.मानते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा जाए कि क्यों न उनपर विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाए ? उक्त कारण बताओ नोटिस कार्यालय,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड को भी जारी किया जाए कि क्यों न उन पर भी विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाए ?

9. इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी एवं संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं भोपाल को एक अलग पत्र जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि यदि अपीलार्थी का मूल आवेदन खो गया था तो जवाबदेह पर क्या विभागीय कार्यवाही की गई । उक्त पत्र का उत्तर एक माह के अंदर आयोग को प्रेषित किया जाए ।

(महेश पाण्डे)
सूचना आयुक्त

08 अप्रैल 2008

<u>प्रभारी सचिव</u>